श्री देव सुमन उत्तराखण्ड़ विश्वविद्यालय

बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड़–249 199

Sri Dev Suman Uttarakhand Vishwavidhyalay

Badshahithaul, Tehri Garhwal–249 199

Tel. : 01376 – 254065 (O)
Fax : 01376 – 254065
Website: www.sdsuv.ac.in

पत्रांक :– मेमो /SDSUV / प्रशासन / 2020 दिनांकः–18 /04 / 2020

सेवा में,

(1) प्राचार्य,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय
परिसर गोपेश्वर चमोली।

(2) प्राचार्य,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय
परिसर ऋषिकेश।

विषयः– परिसरो में दिनांक–21.04.2020 से ऑनलाईन कक्षाएं प्रारम्भ करवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है, कि शासनादेश संख्या–290/XXIV-C-4/2020-25(1)/2016TC, दिनांक–17 अप्रैल 2020 द्वारा राज्य मे कोविड–19 संक्रमण के कारण अग्रिम आदेशो तक के लिए समस्त संस्थान बन्द होने के दृष्टिगत दिनांक–21 अप्रैल 2020 से निर्धारित समय सारणी (Time Table) के अनुसार अनिवार्य एंव नियमित रूप से ऑनलाईन कक्षाएं प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये है।

अतः मुझे आपसे यह कहने के निदेश हुये है कि कृपया उपरोक्त शासनादेशानुसार अपने–अपने परिसर में 21 अप्रैल 2020 से निर्धारित समय सारणी (Time Table) के अनुसार अनिवार्य एंव निर्धारित रूप से ऑनलाईन कक्षाएं प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित करने का कष्ट करे।

भवदीय

दिनेश चन्द्रा
(उपकुलसचिव)

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर सचिव उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2– निजि सचिव, कुलपति जी, माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
3– कुलसचिव।

दिनेश चन्द्रा
(उपकुलसचिव)

Scanned with CamScanner

श्री देव सुमन उत्तराखण्ड़ विश्वविद्यालय
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड़–249 199
Sri Dev Suman Uttarakhand Vishwavidhyalay
Badshahithaul, Tehri Garhwal–249 199

Tel. : 01376 – 254065 (O)
Fax : 01376 – 254065
Website: www.sdsuv.ac.in

पत्रांक :– मेमो /SDSUV/प्रशासन/2020 दिनांक:–18/4/2020

सेवा में,

प्राचार्य/निदेशक
श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त निजी शिक्षण संस्थान।

विषयः– दिनांक–21 अप्रैल 2020 से ऑनलाईन कक्षाएं प्रारम्भ करवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है, कि शासनादेश संख्या–290/XXIV-C-4/2020-25(1)/2016TC, दिनांक–17 अप्रैल 2020 द्वारा राज्य मे कोविड–19 संक्रमण के कारण अग्रिम आदेशो तक के लिए समस्त संस्थान बन्द होने के दृष्टिगत दिनांक–21 अप्रैल 2020 से निर्धारित समय सारणी (Time Table) के अनुसार अनिवार्य एंव नियमित रूप से ऑनलाईन कक्षाएं प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये है।

अतः मुझे आपसे यह कहने के निदेश हुये है कि कृपया उपरोक्त शासनादेशानुसार अपने महाविद्यालय संस्थान में 21 अप्रैल 2020 से निर्धारित समय सारणी (Time Table) के अनुसार अनिवार्य एंव निर्धारित रूप से ऑनलाईन कक्षाएं प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित करने का कष्ट करे।

भवदीय

दिनेश चन्द्रा
(उपकुलसचिव)

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर सचिव उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2– निजि सचिव, कुलपति जी, माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
3– कुलसचिव।

दिनेश चन्द्रा
(उपकुलसचिव)

Scanned with CamScanner

संख्या– 290 /XXIV-C-4/2020&25(01)/2016TC

प्रेषक

डॉ अहमद इकबाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त कुलपति,
राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तराखण्ड

2. निदेशक,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
हल्द्वानी, नैनीताल।

उच्च शिक्षा अनुभाग–4 देहरादून : दिनांक 17 अप्रैल, 2020

विषय– राज्य के समस्त शासकीय व अशासकीय महाविद्यालयों तथा राज्य विश्वविद्यालयों व उसके संघटक महाविद्यालयों में वर्तमान लॉकडान स्थिति के दृष्टिगत् अनिवार्य एवं नियमित रूप से ऑनलाईन कक्षाएं प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त के सम्बन्ध में जैसा की अवगत ही हैं कि वर्तमान में देश के साथ–साथ प्रदेश में भी कोविड–19 संक्रमण के कारण दिनांक 24 मार्च, 2020 से लॉकडाउन की स्थिति से गुजरना पड़ रहा है, जिस कारण विभिन्न स्तरों से निर्गत दिशा–निर्देशों के क्रम में अग्रिम आदेशों तक समस्त शैक्षणिक संस्थान बन्द किये गये हैं। इससे राज्य के महाविद्यालयों में शिक्षणरत् छात्र–छात्राओं का पठन–पाठन प्रभावित हो रहा है।

2– अतः उपरोक्त के दृष्टिगत् दिनांक 21 अप्रैल, 2020 (मंगलवार) से राज्य में स्थापित समस्त शासकीय व अशासकीय महाविद्यालयों तथा राज्य विश्वविद्यालयों व उसके संघटक महाविद्यालयों में निर्धारित समय–सारणी (Time Table) के अनुसार अनिवार्य एवं नियमित रूप से ऑनलाईन कक्षाएं प्रारम्भ करते हुए निम्न समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें–

- ऑनलाईन कक्षाओं का संचालन Skype, Google Meet, Microsoft Teams, Zoom इत्यादि द्वारा किया जाय तथा Session को Record भी किया जाय।
- समस्त प्राचार्य एवं प्राध्यापक अपने संस्थान में अध्ययनरत् छात्रों को दूरभाष/SMS/Whatsapp के माध्यम से सीधे एवं अन्य छात्रों के सहयोग से सम्पर्क करते हुए समय–सारणी के सम्बन्ध में अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।
- जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वहां ऑफलाईन सम्बन्धित Session को (समय–सारणी के अनुसार audio/video में Record किया जाय, जिसका उपयोग एवं प्रसारण आवश्यकतानुसार किया जा सके।
- सम्बन्धित प्राध्यापक अपने विषय से सम्बन्धित तैयार किये गये नोटस्/PPT इत्यादि छात्र–छात्राओं को समुचित माध्यम यथा वॉटस्एप, ई–मेल, संस्थान की वेबसाईट, यू–ट्यूब, गूगल मीट (Google Meet) आदि अन्य माध्यमों से अपलोड/शेयर करेंगे।
- सम्बन्धित विषय में तैयार किये गये Assignment छात्र–छात्रओं में उक्तानुसार उल्लिखित माध्यमों से वितरित किये जायेगें तथा भविष्य में संस्थान खुलने पर छात्र–छात्राएं उक्त Assignment सम्बन्धित प्राध्यापक को प्रस्तुत करेंगे।
- सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्राचार्यो को यह निर्देशित किया जाता है कि उत्तराखण्ड मुक्त विश्यविद्यालय की वेबसाईट पर यदि किसी विषय से सम्बन्धित सामग्री उपलब्ध होती है, तो वे तत्काल कुलपति, मुक्त विश्वविद्यालय से सम्पर्क स्थापित कर उनसे प्राप्त दिशा–निर्देश के क्रम में उक्त विश्वविद्यालय के संसाधनों के उपयोग कर सकते हैं।

Scanned with CamScanner

- निदेशालय स्तर से पूर्व में निर्गत दिशा–निर्देशों के क्रम में सम्बन्धित प्राध्यापक प्रत्येक सप्ताह उक्तानुसार क्रियान्वयन आख्या निदेशक, उच्च शिक्षा को प्रस्तुत करते रहेंगे तथा क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से शासन को निम्न ई–मेल आईडी पर भी उपलब्ध करायेंगे–
  - » highereducation.section4@gmail.com
  - » aparsachiv.uk@gmail.com

3– कृपया उक्त निर्देशों का अनिवार्य रूप से क्रियान्वयन प्रारम्भ करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0 अहमद इकबाल)
अपर सचिव

संख्या– 290 /XXIV-C-4/2020-25(01)/2016TC, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को मात्र ई–मेल द्वारा सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वरिष्ठ निजी सचिव–उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. प्रमुख निजी सचिव–प्रमुख सचिव/सचिव (प्रभारी) को महोदयों के संज्ञानार्थ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा–निदेशक, उच्च शिक्षा।
4. समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा–निदेशक, उच्च शिक्षा।
5. समस्त प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, उत्तराखण्ड द्वारा–निदेशक, उच्च शिक्षा।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)
संयुक्त सचिव

Scanned with CamScanner